प्रखंड कार्यालय – बनमा ईटहरी

ज्ञापांक :– 48 / दिनांक :– ....

प्रेषित,

श्री रविन्द्र कुमार सिंह
पंचायत सचिव,

विषय :– ईटहरी एवं सहुरिया का पंचायत सामाजिक सुरक्षा पेशन वितरण में अनियमितता बरतने के संबंध में।

प्रसंग :– इस कार्यालय के ज्ञापांक :– 1065–2, दिनांक – 30.12.2014

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक मागे गये स्पष्टीकरण आपके द्वारा इस कार्यालय को समर्पित किया गया है। जो प्रथम दृष्टतया अवलोकन से असंतोषप्रद प्रतीत होता है। आपके विरूद्व सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण में बरती गयी अनियमितता के संबंध में लगातार शिकायत प्राप्त हुई है। जो अत्यन्त ही खेदजनक है। आपको निम्नांकित निर्देश दिये जाते है।

1. सहुरिया एवं ईटहरी पंचायत के सामाजिक सुरक्षा पेंशन से संबंधित सभी पंजी को अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष 24 घंटे के अन्दर जमा करें।

2. आपने अपने आँख का इलाज किस चिकित्सक से करवाया है उससे संबंधित सभी पुर्जा, प्रमाण–पत्र एवं दवा दुकान का कैश मेमो के साथ ली गई छुट्टी का विवरण भी अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें।

3. आपके द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन से संबंधित कार्य समय पर समर्पित करने की बात कही गई है। किन्तु आपका यह कथन पूर्णतः असत्य है। आपकी गैर जबाबदेही के करण ही आपके पंचायत के सामाजिक सुरक्षा पेंशन आवेदनों का निष्पादन निर्धारित समय सीमा के अन्दर नहीं हो पा रहा है।

अतः निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर उपरोक्त वर्णित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। अन्यथा बाध्य होकर आपके विरूद्व प्रपत्र ''क'' गठित करते हुए विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु उच्च पदाधिकारी को अनुशंसा कर दी जायेगी।

ह०–

प्रखंड विकास पदाधिकारी,
बनमा ईटहरी।

ज्ञापांक :– 49–2 / दिनांक :– 15.01.15

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सहरसा को सादर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, सहरसा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15.1.15

प्रखंड विकास पदाधिकारी,
बनमा ईटहरी।